30

पत्रांक–18/ई॰गो॰–04–07/2011सा॰– **11161**

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,बिहार,

वीरचंद पटेल पथ,

पटना ।

पटना, दिनांक–**08.08.2012**

विषय–सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के लिए रू0 3,81,00000 (तीन करोड़ एकासी लाख) के वार्षिक व्यय भार पर पदों के सृजन की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र के मजबूती के लिए सतत् परामर्श, बौद्धिक विकास, प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा सुशासन केन्द्र एवं सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का गठन किया गया है ।

2. उपर्युक्त सोसाइटी के सुचारू रूप से संचालन एवं कार्यालय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	महानिदेशक–सह–कार्यपालक निदेशक	एक पद	मुख्य सचिव के पद का वेतन भत्ते और अन्य सभी सुविधाएं
2	निदेशक, सुशासन	एक पद	80,000–1,00,000/–मासिक
3	उप निदेशक (वित्त)	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
4	उप निदेशक, (प्रशासन)	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
5	उपनिदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संसाधन समूह	एक पद	70,000–80,000/– मासिक

(29)

6	उपनिदेशक,नगर प्रबंधन संसाधन समूह	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
7	उपनिदेशक, वित्त प्रबंधन संसाधन समूह	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
8	उपनिदेशक,मानव विकास संसाधन समूह	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
9	उपनिदेशक, प्रबंधन विकास संसाधन समूह	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
10	उपनिदेशक, ई– डेवलपमेंट	एक पद	70,000–80,000/– मासिक
11	वरीय प्रबंधक (वित्त)	एक पद	55,000–65,000/– मासिक
12	प्रबंधक(लेखा)	एक पद	50,000–60,000/– मासिक
13	आंतरिक अंकेक्षक	एक पद	40,000–50,000/– मासिक
14	वरीय प्रबंधक (प्रशासन)	एक पद	55,000–65,000/– मासिक
15	प्रबंधक (प्रशासन)	एक पद	50,000–60,000/– मासिक
16	कार्यक्रम प्रबंधक (संसाधन समूह हेतु)	पॉच पद	50,000–60,000/– मासिक
17	वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक (ई–डेवलपमेंट हेतु)	दो पद	50,000–60,000/– मासिक
18	परियोजना प्रबंधक (संसाधन समूह एवं ई–डेवलपमेंट हेतु)	नौ पद	50,000–60,000/– मासिक
19	ज्ञान प्रबंधक (संसाधन समूह हेतु)	पॉच पद	50,000–60,000/– मासिक
20	प्रबंधक ज्ञान संसाधन	एक पद	50,000–60,000/– मासिक
21	सिस्टम डिजाइनर (ई–डेवलपमेंट हेतु)	एक पद	50,000–60,000/– मासिक
22	सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर (ई–डेवलपमेंट हेतु)	एक पद	50,000–60,000/– मासिक
23	आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	ग्यारह पद	25000/– मासिक
24	एक्सक्यूटिव एसिस्टेंट	तैंतीस पद	20000/– मासिक
25	चालक	पॉच पद	16000/– मासिक

3. महानिदेशक तथा निदेशक (सुशासन) की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी । शेष क्रमांक –3 से 22 तक के पदों पर नियुक्ति सामान्यतः संविदा के आधार पर पद के सम्मुख अंकित पारिश्रमिक सीमा के अधीन समेकित (consolidated) पारिश्रमिक के आधार पर की जाएगी । संविदा पर नियुक्त कर्मियों को पारिश्रमिक में वार्षिक 3 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान रहेगा । सामान्यतः नियुक्ति पद विशेष के लिए दर्शाए गए पारिश्रमिक

सीमा (रेंज) के निम्न प्रक्रम पर की जाएगी किन्तु विशिष्ट योग्यता/अनुभव रखने वाले व्यक्ति का चयन होने पर इन्हें सीमा (रेंज) के भीतर उच्चतर पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकेगा ।

आवश्यकता के अनुसार इन पदों पर सरकार(केन्द्र/राज्य) के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी लिया जा सकेगा । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को पैतृक विभाग में प्राप्त वेतन के साथ अनुमान्य प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

4. उपर्युक्त कंडिका–2 के क्रमांक–23 से 25 में उल्लेखित सहायक कर्मी यथा एक्सक्यूटिव एसिस्टेंट, आशुलिपिक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर, चालक आदि पदों पर सामान्यतः संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी एवं संविदा पर नियुक्त कर्मियों को पारिश्रमिक में वार्षिक 3 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान रहेगा । आवश्यकतानुसार इन पदों पर प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को पैतृक विभाग में प्राप्त वेतन के साथ अनुमान्य प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

5. उपर्युक्त सभी पद संविदा पर सृजित होंगे तथा स्थायी स्थापना का भाग नहीं होगा और इन पदों पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी/कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा उनके नियमितिकरण का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा ।

6. सृजित पदों के विरूद्ध तत्काल Skeleton strength पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी । शेष पदों पर नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा वेतन मानकीकरण के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ।

7. कार्यालय रख–रखाव, सफाई, कूरियर सर्विस, सुरक्षा का कार्य आउटसोर्स से किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) .8.2012

(अजय कुमार चौधरी),

सरकार के संयुक्त सचिव ।